

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3624

दिनांक 06/10/2025

उपवानी प्रकरण - सुबीप कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलओ आरओ एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 162 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुसार तथ्य है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जारी पत्रांक
11 / गूअ / 2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान गू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राहक श्रीकामकाश पटवार हल्का कौड़ी सिमरला
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के गूमे खाता संख्या 37 में खातेदार अजीम सुत्र
मदनलाल जाति ब्राह्मण के स्थान पर सुबीप कुमार सुत्र मदनलाल का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का कौड़ी सिमरला
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

अजित कुमार
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3625-21

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का कौड़ी सिमरला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

अजित कुमार
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

